

## **अध्याय-V**

**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के  
कार्यान्वयन की प्रक्रिया**



## अध्याय - V

### सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

लेखापरीक्षा ने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के सम्बन्ध में क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण के डेटा डंप का विश्लेषण किया। चार चयनित जिलों के संदर्भ में निरन्तर अनियमितताओं की जाँच हेतु ई-कल्याण के एकीकृत वेब आधारित एप्लीकेशन पर प्रश्न चलाए गए (अक्टूबर 2020) थे। लेखापरीक्षा ने चयनित 59 ग्राम पंचायतों में आवेदनों की हस्तचालित (मैनुअल) प्रक्रिया से सम्बंधित अभिलेखों एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित अभिलेखों की भी संवीक्षा की। लेखापरीक्षा में आवेदन करने की प्रक्रिया में कमियां, लाभार्थियों का चयन करने में अनियमितता, पुनरावृत्ति पेंशन के मामले इत्यादि पाए गए, जिनका अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णन किया गया है।

#### 5.1 लाभार्थियों की विशिष्टता

पेंशन नियम किसी लाभार्थी को केवल एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अनुमति देते हैं। किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से पेंशन/भत्ता प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पात्र नहीं होता। पुनरावृत्ति करने वाले लाभार्थी हटाए जाना सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की विशिष्टता का पता लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त डीबीटी भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में प्रावधान है कि पीएफएमएस में लाभार्थी का पंजीयन निम्नलिखित में से कम से कम एक का सफलतापूर्वक सत्यापन होने के पश्चात् किया जाना है:

1. बैंक खाता/डाक खाता सत्यापन
2. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आधार मैपर पर आधार संख्या

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

##### 5.1.1 पहचान हेतु आधार का प्रयोग

भारत सरकार के परिपत्र (सितंबर 2016) के अनुसार राज्य सरकारें उन योजनाओं में आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग को अनिवार्य कर सकती हैं, जो राज्य की समेकित निधि द्वारा वित्त पोषित हैं। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को यूआईडीएआई<sup>1</sup> के प्रमाणीकरण विभाग से अनुमति लेने से पूर्व आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ऐसी योजनाओं की पहचान करना एवं उन्हें अधिसूचित करना आवश्यक है। अधिसूचना में जिन्हें आधार आवंटित नहीं किया गया है उन्हें लाभार्थी आवेदक की पहचान की पुष्टि हेतु वैकल्पिक दस्तावेजों व सत्यापन पद्धतियों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा, जब तक कि लाभ, सब्सिडी या सेवाओं के वितरण के लिए आधार नहीं सौंपा गया है।

डीबीटी हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया मॉड्यूल के अध्याय-4 के भाग ग में निर्धारित किया गया है कि लाभार्थियों के आधार विवरण को जोड़ने के उद्देश्य से (सीडिंग), उनके आधार नंबरों के उपयोग के लिए एक बार की सहमति प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त आंकड़ों की सत्यता एवं बैंक खातों/आईएफएससी कोडों, आधार आदि की सत्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके

<sup>1</sup> भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अतिरिक्त आधार अधिनियम, 2016 की धारा 8 (2) के अनुसार प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उसकी पहचान की जानकारी एकत्र करने से पहले किसी व्यक्ति की सहमति ली जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थियों की पहचान हेतु आधार के उपयोग के लिए अधिसूचित नहीं किया था।
- राज्य में आवेदकों से आवेदन के समय आधार संख्या केवल सत्यापन के उद्देश्य से प्राप्त की गई थी तथा लाभार्थियों की सहमति के बिना क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में संग्रहित की गई थी। डेटा डंप विश्लेषण से पता चला कि 5.01 लाख सक्रिय लाभार्थियों की आधार संख्या ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में बिना एन्क्रिप्शन के एवं बिना मास्क (छिपाए गए) किए प्रारूप में यूआईडीएआई दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए संग्रहित की गई थी, जिसमें डेटा की सुरक्षा के जोखिम से समझौता किया गया था।
- नमूना-जांचित चार जिलों में कुल 2.07 लाख<sup>2</sup> लाभार्थियों में से 1.92 लाख<sup>3</sup> लाभार्थियों के मामले में आधार संख्या आवेदन के समय प्राप्त की गई एवं क्लाउंट सर्वर ई-कल्याण में संग्रहित की गई। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा केवल 0.73 लाख<sup>4</sup> लाभार्थियों के मामले में ग्राहक सर्वर ई-कल्याण प्रणाली पर आधार संख्या की डेटा प्रविष्टि की सटीकता (आधार की हार्ड कॉपी के साथ) की जाँच की थी। तत्पश्चात यूआईडीएआई वेब सेवाओं के माध्यम से आधार संख्या का सत्यापन नहीं किया गया।
- यद्यपि लाभार्थियों के आधार को संग्रहित किया गया था, परन्तु पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों की पहचान करने एवं सत्यापन के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप बार-बार पेंशन भुगतान के मामले सामने आए, जैसा कि परिच्छेद 5.4.1 (i) में वर्णित है।
- क्लाउंट सर्वर-आधारित सॉफ्टवेयर (राज्य के सभी 12 जिलों के लिए) के संबंध में डेटा डंप के विश्लेषण से पता चला कि-
  - 9078 मामलों<sup>5</sup> (आधार वाले कुल 5.01 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से) में 4251 आधार संख्याओं<sup>6</sup> का कई बार (दो से पांच बार) उपयोग किया गया था। नए लागू (अक्टूबर 2020) वेब-आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आधार संख्या के लिए फ़ील्ड नहीं था।

<sup>2</sup> किन्नौर: 6169; मंडी: 104296; शिमला: 62492 व सोलन: 33962

<sup>3</sup> किन्नौर: 5361; मंडी: 96901; शिमला: 56973 व सोलन: 32684

<sup>4</sup> किन्नौर: 5361, मंडी: 86, शिमला: 56973 व सोलन: 10747

<sup>5</sup> बिलासपुर: 838; चंबा: 780; हमीरपुर: 427; कांगड़ा: 1643; किन्नौर: 69; कुल्लू: 640; लाहौल-स्पीति: 74; मंडी: 1710; शिमला: 1087; सिरमौर: 644; सोलन: 116; व ऊना: 1050

<sup>6</sup> बिलासपुर: 411; चंबा: 381; हमीरपुर: 209; कांगड़ा: 748; किन्नौर: 34; कुल्लू: 316; लाहौल-स्पीति : 37; मंडी: 813; शिमला: 517; सिरमौर: 314; सोलन: 57; व ऊना: 414

- आधार 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है। 5061 मामलों में (आधार वाले 5.01 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से) आधार संख्या<sup>7</sup> डेटाबेस में सही ढंग से दर्ज नहीं की गई थी (12 अंकों से कम या खाली छोड़ दिया गया था)।

यह साफ्टवेयर में सत्यापन जांच की कमी एवं लाभार्थियों की विशिष्टता का पता लगाने में विभाग की विफलता को इंगित करता है, जिसके कारण लाभार्थियों की पुनरावृत्ति हो सकती है, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान भी देखा गया {परिच्छेद 5.4.1 (i)}।

जिला कल्याण अधिकारी, शिमला ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि लाभार्थियों की सहमति प्राप्त करने के विषय में नियमों में किसी प्रकार के निर्देश के अभाव में इसका पालन नहीं किया गया तथा पुनरावृत्ति की जांच विभागीय प्राधिकारियों द्वारा हर तिमाही में संवितरण के पूर्व पेंशनभोगियों की सूची डाउनलोड करके की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लाभार्थियों से सहमति प्राप्त न करना मानक परिचालन प्रक्रिया का उल्लंघन था तथा पुनरावृत्ति की हस्तचालित जांच अपर्याप्त साबित हुआ क्योंकि लाभार्थियों के पुनरावृत्ति के मामले देखे गए थे, जैसा कि परिच्छेद 5.4.1 (i) में विवर्णित है।

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान हेतु आधार का उपयोग करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को अब आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिसूचित किया गया एवं सभी लाभार्थियों के आधार को ई-कल्याण में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान ई-कल्याण संस्करण में आधार संख्या फीड करने की कार्यक्षमता नहीं है, इस कार्यक्षमता को जोड़ा जाएगा एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए यूआईडीएआई के सहयोग से सभी लाभार्थियों का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण किया जाएगा।

### 5.1.2 विशिष्ट पहचान हेतु अन्य क्षेत्रों व सत्यापन नियंत्रणों का उपयोग

पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों को पहचानने एवं रोकने के लिए सिस्टम में ही नियंत्रण (कंट्रोल) होना चाहिए (इनबिल्ट)। ई-कल्याण में उपलब्ध अन्य क्षेत्रों के विश्लेषण से निम्नलिखित उजागर हुआ:

**व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या:** किसी योजना में लक्ष्य में वृद्धि या स्लॉट के खाली होने के आधार पर व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या वाला स्लॉट प्रतीक्षा-सूची के नए आवेदक को जारी किया जाता है। किसी विशेष पेंशन योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट पर लाभार्थी को व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या (स्लॉट नंबर) आवंटित किया जाता है।

डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- लाभार्थी की विशिष्टता का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या का उपयोग नहीं किया जा सकता है; इसके बजाय यह केवल विशिष्ट रूप से पेंशन स्लॉट की पहचान करता है।

<sup>7</sup> बिलासपुर:73; चंबा:404; हमीरपुर:76; कांगड़ा:1438; किन्नौर: 05; कुल्लू:41; लाहौल-स्पीति:03; मंडी:365; शिमला:2320; सिरमौर:36; सोलन:26; व ऊना:274

- डेटा डंप में उपलब्ध अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामलों के विश्लेषण से पेंशनभोगियों की पुनरावृत्ति के 4403 मामले<sup>8</sup> (हटाए गए 2.24 लाख मामलों में से) ज्ञात हुए, जिनके द्वारा एक से अधिक स्लॉट / व्यक्तिगत लेजर खाता संख्या रखने की सूचना फील्ड पदाधिकारियों द्वारा दी गई थी। इन मामलों में इन लाभार्थियों को दोहरी पेंशन आवंटित की गई थी।

**विशिष्ट पहचान (यूनिक आईडी):** सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के आवेदकों को एक विशिष्ट आईडी आवंटित की जाती है जो प्रत्येक आवेदक हेतु अलग (विशिष्ट) होती है। यूनिक आईडी के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- प्रत्येक आवेदन हेतु डेटा प्रविष्टि के समय ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में विशिष्ट आईडी उत्पन्न की जा रही थी (सिस्टम जनरेटेड) जिसे अन्य आवेदनों में दोहराया नहीं जा सकता।
- यूनिक आईडी पुनरावृत्ति करने वाले आवेदकों/लाभार्थियों का पता लगाने में सहायक नहीं थी क्योंकि एक आवेदक को एक नई यूनिक आईडी आवंटित की जा सकती है, भले ही सिस्टम में लाभार्थी का विवरण मौजूद हो और उन्हें फिर से दर्ज किया गया हो (ऐसे मामलों में जहां एक ही व्यक्ति से कई आवेदन प्राप्त हुए हों)।

इस प्रकार, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में सत्यापन नियंत्रणों की कमी के कारण पुनरावृत्ति करने वाले लाभार्थियों की पहचान हेतु यूनिक आईडी का उपयोग नहीं किया जा सका।

**डेटा पुनरावृत्ति का पता लगाना:** ई-कल्याण के क्लाउड सर्वर संस्करण में पेंशन की पुनः स्वीकृति से बचने के लिए लाभार्थी के नाम एवं अन्य विवरण पर डेटा प्रविष्टि की पुनरावृत्ति का पता लगाने के लिए इनबिल्ट चेक (पॉप अप या सुझाव/अधिसूचना के रूप में) प्रदान नहीं किए गए थे। वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में यह अनियमितता लगातार बनी हुई है।

इस प्रकार, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टि करते समय आवेदकों की पुनः प्रविष्टि की जांच करने/पता लगाने की कार्यक्षमता प्रदान नहीं की गई थी।

उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में पर्याप्त सत्यापन जांच/नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे।

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि व्यक्तिगत लेजर खाते को आधार संख्या से जोड़ने की संभावना खोजी जाएगी तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए आवश्यक सत्यापन जांच हेतु सक्षम बनाया जाएगा।

## 5.2 आवेदनों की जांच एवं प्रक्रिया

ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं से प्राप्त आवेदनों की विभागीय अधिकारियों (तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी) द्वारा संवीक्षा एवं सत्यापन किया जाता है तथा लाभार्थी

<sup>8</sup> बिलासपुर: 561; चंबा: 222; हमीरपुर: 64; कांगड़ा: 1760; किन्नौर : 23; कुल्लू: 242; लाहौल-स्पीति: 10; मंडी: 480; शिमला: 608; सिरमौर : 227; सोलन: 03; व ऊना: 203

विवरण पूर्ण होने/सत्यापित होने के उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की जाती हैं।

### 5.2.1 आवेदनों की संवीक्षा

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 8(7) में प्रावधान है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् तहसील कल्याण अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज जैसे परिवार रजिस्टर की प्रति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची, ग्राम पंचायत प्रस्ताव (संकल्प), पात्रता प्रमाणपत्र (मृत्यु/अक्षमता/परित्यक्ता/एकल नारी/आय), इत्यादि जिला कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करेगा। जिला कल्याण अधिकारी आवेदक की पात्रता का पुनःसत्यापन करेंगे एवं अपूर्ण आवेदन पुनः तहसील कल्याण अधिकारी को वापस प्रेषित करेगा।

- i. लेखापरीक्षा ने 2017-21 से सम्बंधित अवधि हेतु चयनित चार जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा प्राप्त 1175 आवेदनों पत्रों (यादृच्छिक रूप से चयनित) की छानबीन की। 204 मामलों<sup>9</sup> (17 प्रतिशत) में अपूर्ण आवेदन पत्रों पर, जिनमें अपेक्षित दस्तावेज (परिवार रजिस्टर की प्रति/ग्राम पंचायत प्रस्ताव/राशन कार्ड/पति का मृत्यु प्रमाणपत्र/ अक्षमता प्रमाणपत्र) प्राप्त नहीं किए गए थे, जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया की गई थी जो इंगित करता है कि इन आवेदनों पर मूल अभिलेखों के बिना कार्यवाही की गई।

*जिला कल्याण अधिकारी, मंडी ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के प्रारूप में योजनानुसार अपेक्षित सभी आवश्यक जानकारी सम्मिलित थी। नमूना-जांचित अन्य जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मामलों की जांच की जाएंगी। हालांकि यह तथ्य शेष रहा कि विभागीय प्राधिकारी मूल अभिलेखों के अभाव में आवेदनों का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं थे, जो परिचायक है कि आवेदनों की संवीक्षा एवं सत्यापन नियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं की जा रही थीं।*

- ii. **लाभार्थियों की आयु में भिन्नता-** नमूना-जांचित 59 ग्राम पंचायतों में चयनित छः योजनाओं के 9196 लाभार्थियों से सम्बंधित पंचायत अभिलेखों की ई-कल्याण में दर्ज विवरणों से तुलना की गई तथा पाया गया कि-

- 776 लाभार्थियों<sup>10</sup> की आयु में भिन्नता (एक वर्ष से अधिक के अंतर के मामलों को लिया गया) के मामले पाए गए।
  - इन में से 294 मामलों में भिन्नता<sup>11</sup> थी जिनमें ग्राम पंचायत स्तर के मूल अभिलेख की तुलना में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आयु कम दर्शाई गई थी।
  - शेष में से 482 मामलों में ग्राम पंचायत स्तर के मूल अभिलेख की तुलना में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में आयु अधिक दर्शाए जाने का भिन्नता<sup>12</sup> था।

<sup>9</sup> किन्नौर: 40 / 240; मंडी: 39 / 469; शिमला: 43 / 200; व सोलन: 82 / 266

<sup>10</sup> किन्नौर: 135; मंडी: 343; शिमला: 159; व सोलन: 139

<sup>11</sup> किन्नौर: 38; मंडी: 153; शिमला: 52; व सोलन: 51

<sup>12</sup> किन्नौर: 97; मंडी: 190; शिमला: 107; व सोलन: 88

ई-कल्याण के डेटाबेस तथा ग्राम पंचायत स्तर के रिकॉर्ड के अनुसार लाभार्थी डेटा/आयु में भिन्नता, विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की संवीक्षा में कमी व सत्यापन के अभाव का परिचायक है।

### iii. ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किए गए डेटा में विसंगतियां

लेखापरीक्षा में 173 आवेदन पत्रों (यादृच्छिक रूप से चयनित<sup>13</sup>) में दी गई जानकारी के साथ ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज डेटा की तुलना की गई। 129 मामलों (75 प्रतिशत) में विसंगतियां पाई गईं, जैसा कि नीचे विवर्णित है:


- 22 मामलों में लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत खाता संख्या ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज डेटा से मेल नहीं खाती थी।
- 19 मामलों में आवेदन पत्र द्वारा आपूरित जानकारी एवं ई-कल्याण में दर्ज डेटा के अनुसार जन्म तिथि में अंतर पाया गया।
- 88 मामलों में आवेदन पत्र के अनुसार दी गई आवेदक के बच्चों की संख्या से सम्बंधित जानकारी ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में गलत भरी गई थी।

यह ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में गलत डेटा प्रविष्टि का परिचायक है तथा इसलिए डेटा विश्वसनीय नहीं हो सकता।

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि वे उन अधिकारियों की तैनाती करेंगे जिनका कार्य आवेदन पत्रों में संलग्न दस्तावेजों को अपलोड करगा होगा एवं ऑनलाइन पद्धति से आवेदन पत्र भरने के लिए लाभार्थियों को इंटरफ़ेस उपलब्ध करने की संभावना खोजी जाएगी।

## 5.2.2 आवेदन प्रक्रिया एवं अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 8(4) में निर्धारित है कि यह सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित आवेदन को एक माह के भीतर सत्यापित कर इसे सत्यापन रिपोर्ट के साथ जिला कल्याण अधिकारी को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 8(6) में निर्धारित है कि सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्ति की तिथि के क्रमानुसार प्राप्त आवेदनों का श्रेणीवार (वृद्धावस्था, विधवा/एकल नारी, दिव्यांग, आदि हेतु) रजिस्टर तैयार करेंगे। लाभार्थी एवं संबंधित ग्राम पंचायत को पेंशन अनुमोदन/स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति आदेश के रूप में सूचना जाए। संबंधित ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक रूप से लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करना आवश्यक है। सत्यापन प्रक्रिया नीचे दर्शाई गई है:



राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 15 दिन की समय सीमा

चयनित तहसील कल्याण अधिकारियों/जिला कल्याण अधिकारियों के हस्तलिखित अभिलेखों की संवीक्षा एवं सम्पूर्ण राज्य हेतु डेटा डंप के विश्लेषण दर्शाता है कि:

<sup>13</sup> विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बेतरतीब ढंग से अभिलेख का अनुरक्षण करने के कारण



- तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रिया-
  - आवेदकों की श्रेणी-वार जानकारी वाले रजिस्टर का नियमों के तहत उपलब्ध कराए गए प्रारूप में अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। नमूना-जांचित तहसील कल्याण अधिकारियों में आवेदन प्राप्त होने की तिथि, आवेदक का नाम व जन्म तिथि, ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं का नाम, संकल्प संख्या/तिथि, जिला कल्याण अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि एवं पेंशन के अनुमोदन के विषय में ग्राम पंचायतों को सूचित करने की तिथि बड़े अनुपात में दर्ज नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा इन मामलों में संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा आवेदनों के सत्यापन हेतु लिए गए समय का पता नहीं लगा सका।
  - 11 में से छः तहसील कल्याण अधिकारियों में अप्रैल 2014 व जून 2020 के दौरान डिस्पैच रजिस्टर से प्राप्त 837 आवेदनों की प्राप्ति के विवरणों की, जहां तहसील कल्याण अधिकारियों के सत्यापन के पश्चात् जिला कल्याण अधिकारियों को आवेदनों की प्राप्ति व डिस्पैच के विवरण उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा द्वारा यादृच्छिक रूप से नमूना-जांच की गई तथा पाया गया कि 126 आवेदनों<sup>14</sup> (15 प्रतिशत) के प्रसंस्करण करने में विलम्ब (एक माह से अधिक) हुआ, जो 34 दिनों से एक वर्ष से अधिक के मध्य था।
  - डेटा डंप के विश्लेषण में पाया गया कि राज्य पेंशन योजनाओं के अधीन 371723 मामलों में से 161397 मामले<sup>15</sup> एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) के अधीन 83343 मामलों में से 38726 मामले<sup>16</sup> क्रमशः एक माह एवं दो हफ्तों (आवेदन तिथि एवं ई-कल्याण में प्रविष्टि तिथि के मध्य का अंतराल) की निर्धारित समयावधि में सत्यापित नहीं किए गए थे।
- जिला कल्याण अधिकारी द्वारा की गई प्रक्रिया/अनुमोदन -
  - नियमों में तहसील कल्याण अधिकारियों से प्राप्ति होने के उपरांत जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा पेंशन मामलों के अनुमोदन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
  - डेटा डंप के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के अधीन 83343 मामलों में से 33532 मामलों<sup>17</sup> में एवं राज्य योजनाओं के अधीन 371723 मामलों में से 146075 मामलों<sup>18</sup> में जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्ति के पश्चात् मामलों के अनुमोदन में लिया गया समय (प्रविष्टि की तिथि व अनुमोदन तिथि के मध्य का अंतराल) एक माह से अधिक पाया गया।

<sup>14</sup> भावानगर स्थित निचार: 39/280 व सुंदरनगर: 87/557

<sup>15</sup> बिलासपुर: 3897; चंबा: 6409; हमीरपुर: 9950; कांगड़ा: 20679; किन्नौर: 2596; कुल्लू: 21683; लाहौल-स्पीति: 911; मंडी: 23945; शिमला: 28800; सिरमौर: 10595; सोलन: 17131; एवं ऊना: 14801

<sup>16</sup> बिलासपुर: 1159; चंबा: 5222; हमीरपुर: 4232; कांगड़ा: 4165; किन्नौर: 320; कुल्लू: 1628; लाहौल-स्पीति: 170; मंडी: 2629; शिमला: 9657; सिरमौर: 2582; सोलन: 3213; एवं ऊना: 3749

<sup>17</sup> बिलासपुर: 2250; चंबा: 4007; हमीरपुर: 1428; कांगड़ा: 11578; किन्नौर: 106; कुल्लू: 644; लाहौल-स्पीति: 13; मंडी: 3502; शिमला: 3654; सिरमौर: 1049; सोलन: 2495; एवं ऊना: 2806

<sup>18</sup> बिलासपुर: 18476; चंबा: 8226; हमीरपुर: 3857; कांगड़ा: 39109; किन्नौर: 1568; कुल्लू: 9734; लाहौल-स्पीति: 155; मंडी: 26703; शिमला: 12301; सिरमौर: 9941; सोलन: 6156; एवं ऊना: 9849

- यह भी पाया गया कि नमूना-जांचित किसी भी जिला कल्याण अधिकारी ने लाभार्थियों के अनुमोदन/अस्वीकृति को लाभार्थी अथवा सम्बंधित ग्राम पंचायत को किसी भी रूप में नहीं बताया। विभाग से किसी भी प्रकार की संसूचना के अभाव में लाभार्थी उनके आवेदन की स्थिति से अवगत नहीं थे तथा ग्राम पंचायतें अनुमोदन प्राप्त लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं कर पा रही थीं।

यह विभागीय प्राधिकारियों द्वारा नियमों की अनुपालना न करने को दर्शाता है जो अभीष्ट लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अनुमोदन में विलम्ब के रूप में परिणत हुआ। लाभार्थी आवेदन स्थिति की संसूचना में पारदर्शिता का अभाव पाया गया।

*सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने लिपिक संवर्ग के कर्मियों की कमी को आवेदन प्रक्रिया में विलम्ब का कारण बताया जबकि नमूना-जांचित पंचायत सचिवों ने पुष्टि की कि विभाग ने लाभार्थियों के आवेदनों की अस्वीकृति या अनुमोदन के सम्बन्ध में सूचना साझा नहीं की थी।*

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि मामलों की जांच की जाएंगी तथा विभाग पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा की पहल भी करेगा।

### 5.3 लाभार्थियों का चयन

ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं द्वारा लाभार्थियों की पहचान ग्राम/वार्ड सभा की बैठकों में की जाती हैं एवं संभावित लाभार्थियों के आवेदन आगामी कार्यवाही हेतु विभाग को प्रेषित किए जाते हैं। तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय निकाय के अभिलेख (परिवार रजिस्टर की प्रति, आदि) से आयु का सत्यापन करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित 11 तहसील कल्याण अधिकारियों के अधीन 59 ग्राम पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों से सम्बंधित अभिलेख अर्थात् परिवार रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर इत्यादि की नमूना-जांच की गई तथा ग्राम पंचायत स्तर के मूल रिकॉर्ड की ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टि से तुलना की गई। इसके साथ-साथ डेटा डंप का विश्लेषण किया गया था एवं वेब-आधारित ई-कल्याण पर प्रश्न चलाए गए ताकि पता लगाया जा सके कि लाभार्थियों का चयन पात्रता मानदंड के अनुसार किया गया है। यह पाया गया कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में योजना से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों के संबंध में सत्यापन नियंत्रण मौजूद नहीं थे। इस सम्बन्ध में योजना-वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण अनुवर्ती परिच्छेदों में दिया गया है।

#### 5.3.1 वृद्धावस्था पेंशन एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं

*न्यूनायु लाभार्थियों का चयन:* हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन एवं इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सहायता अनुमत है।

डेटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- दिसम्बर 2020 तक इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत कुल 0.98 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से 210 लाभार्थी<sup>19</sup> 60 वर्ष से कम आयु के थे।
- दिसम्बर 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 2.63 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से 365 लाभार्थी<sup>20</sup> 60 वर्ष से कम आयु के थे।

नमूना-जांचित चार जिलों के संदर्भ में वेब-आधारित ई-कल्याण पर चलाए गए प्रश्नों से उजागर हुआ कि-

- मार्च 2021 तक नमूना-जांचित दो जिलों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 117 लाभार्थी (मंडी: 88 व शिमला: 29) 60 वर्ष से कम आयु के थे जो योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।
- मार्च 2021 तक नमूना-जांचित दो जिलों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 90,467 लाभार्थियों में से 298 लाभार्थी (मंडी: 283 व शिमला: 15) 60 वर्ष से कम आयु के थे जो हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के विरुद्ध था।

उपरोक्त परिचायक है कि वेब-आधारित सॉफ्टवेयर भी मौजूदा अनियमितताओं को हटाने हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया है तथा अपात्र लाभार्थी योजना के दिशानिर्देशों/नियमों का उल्लंघन करते हुए लगातार पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

इस संदर्भ में चयनित 59 ग्राम पंचायतों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं से सम्बंधित 7996 लाभार्थियों के अभिलेखों की हस्तचालित जांच से पता चला कि चयनित ग्राम पंचायतों में उपरोक्त उल्लिखित लाभार्थियों<sup>21</sup> में से छः मूल रिकॉर्ड के अनुसार 60 वर्ष से कम उम्र के थे हालांकि इसे ई-कल्याण में 60 वर्ष से अधिक दर्शाया गया था। यह आवेदनों की हस्तचालित संवीक्षा में कमी का परिचायक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हस्तचालित जांच से आगे उजागर हुआ कि मार्च 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर के मूल रिकॉर्ड के अनुसार 57 अन्य लाभार्थी 60 वर्ष से कम थे; यद्यपि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। यह इंगित करता है कि या तो डेटा प्रविष्टि के समय हस्तलिखित त्रुटि हुई अथवा अपात्र आवेदकों को लाभ प्रदान करने के लिए ई-कल्याण में जानबूझ कर गलत प्रविष्टि की गई। इस प्रकार डेटा की शुद्धता (सत्य) नहीं पाई गई तथा इस डेटा के आधार पर लाभार्थियों के चयन से पेंशन की अनियमित स्वीकृति हो सकती है।

<sup>19</sup> बिलासपुर: 02; चंबा: 08; हमीरपुर: 16; कांगड़ा: 37; कुल्लू: 14; मंडी: 92; शिमला: 30; सिरमौर: 09; एवं ऊना: 02

<sup>20</sup> बिलासपुर: 06; चंबा: 02; हमीरपुर: 22; कांगड़ा: 15; कुल्लू: 07; मंडी: 289; शिमला: 15; सिरमौर: 02; सोलन: 01; एवं ऊना: 06

<sup>21</sup> केवल छः लाभार्थी डेटा डंप विश्लेषण के साथ ओवरलैप कर रहे थे। यह नमूना आकार को कम करने के कारण है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पूरे राज्य की तुलना में केवल 59 ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड की जांच की थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने ई-कल्याण व ग्राम पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार डेटा भिन्नता भी देखी थी जैसा कि परिच्छेद 5.2.1 (ii) में भी चर्चा की गई है

यह पाया गया कि उपरोक्त उल्लिखित 63 लाभार्थियों को छः माह से 11 वर्षों की अवधि तक पेंशन का भुगतान किया गया था। मार्च 2021 तक ₹ 55.21 लाख<sup>22</sup> का अतिरिक्त भुगतान इन लाभार्थियों को किया गया।

मंडी जिले में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु का लाभार्थी उसकी जन्म तिथि की गलत प्रविष्टि (1991 के बजाय 1930) के कारण चुना गया। नवम्बर 2020 में स्वयं लाभार्थी द्वारा पेंशन को हटाए जाने का निवेदन किया गया जो जनवरी 2021 को प्रभावी हुआ जो विभाग की ओर से जाँच एवं निगरानी में कमी को इंगित करता है। दिसम्बर 2020 तक लाभार्थी को ₹ 1.08 लाख राशि की पेंशन का भुगतान किया गया था।

*सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की कमी एवं पंचायत अभिलेखों के स्वतः सत्यापन की अनुपलब्धता के कारण ये मामले हुए होंगे, हालांकि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए अधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। परिवार रजिस्टर की प्रति के अभाव में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जन्म तिथि से संबंधित विवरण दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सभी संहितागत औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं इसके सत्यापन का दायित्व विभागीय अधिकारियों पर है। जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों ने पंचायत अभिलेखों के अनुसार आवेदकों की पात्रता की जांच नहीं की जो अपात्र लाभार्थियों के चयन के रूप में परिणत हुई।*

अंतिम बैठक में विभाग ने बताया कि यह अनुमोदन के समय आयु के डेटा की गलत प्रविष्टि के कारण हो सकता है, जिसे बाद में ठीक किया जाएगा।

### 5.3.2 विधवा/परित्यक्ता/एकल पेंशन एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाएं

**न्यूनायु लाभार्थियों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश में 40 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन अनुमत हैं।

डाटा डंप की संवीक्षा में मंडी जिले में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनायु लाभार्थियों के चयन के सात मामले (राज्य में 23294 सक्रिय लाभार्थियों में से) उजागर हुए। इन सात लाभार्थियों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में भी लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तिथि तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ अभी भी दिए जा रहे थे।

**पुरुष लाभार्थियों को विधवा पेंशन:** हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के परिच्छेद 4(3) के अनुसार विधवा पेंशन केवल महिला लाभार्थियों को ही अनुमत है।

डाटा डंप की संवीक्षा में राज्य के 92252 सक्रिय लाभार्थियों में से आठ ऐसे मामले (मंडी: 06 एवं शिमला: 02) उजागर हुए, जहां विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों का चयन किया गया। इनमें से नमूना-जांचित चार जिलों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत

<sup>22</sup> किन्नौर: ₹ 3.32 लाख (06); मंडी: ₹ 19.10 लाख (21); शिमला: ₹ 30.51 लाख (30); व सोलन: ₹ 2.28 लाख (06)

वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में भी चार लाभार्थियों को लिया गया था, जो दर्शाता है कि लेखापरीक्षा की तिथि तक अपात्र लाभार्थियों को अभी भी लाभ दिया जा रहा था।

**अपात्र एकल नारी लाभार्थी:** हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 के अनुसार एकल नारी (एकल महिला) श्रेणी के अंतर्गत महिला लाभार्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

डेटा डंप के विश्लेषण से नौ जिलों में 48 मामले<sup>23</sup> (राज्य में 1489 सक्रिय एकल नारियों में से) उजागर हुए, जहां 45 वर्ष से कम उम्र की एकल नारियों का चयन किया गया था।

इन 48 लाभार्थियों में से नमूना-जांचित जिलों में 30 (मंडी: 21, शिमला: 08 व सोलन: 01) को वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में भी एकल नारी के रूप में दर्ज किया गया था, जो दर्शाता है कि लेखापरीक्षा की तिथि तक भी अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे। अप्रैल 2009 से मार्च 2021 के मध्य तक इन लाभार्थियों को ₹ 19.83 लाख (मंडी: ₹ 15.55 लाख, शिमला: ₹ 3.94 लाख व सोलन: ₹ 0.34 लाख) की राशि का भुगतान किया गया।

उपरोक्त मामलों का भौतिक रिकॉर्ड (आवेदन) संबंधित विभागीय अधिकारियों से सिस्टम में फीड किए गए डेटा के साथ जांच हेतु (जनवरी 2022) मांगा गया था तथापि अप्रैल 2022 तक इसकी आपूर्ति नहीं की गई।

*अंतिम बैठक में विभाग ने अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।*

### 5.3.3 दिव्यांग राहत भत्ता एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनाएं

**दिव्यांग राहत भत्ता:** हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 4 (2) के अनुसार 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों हेतु दिव्यांग राहत भत्ता अनुमत है।

- डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि राज्य में दिव्यांगता राहत भत्ता के अंतर्गत 60379 सक्रिय लाभार्थियों में से 21 उन लाभार्थियों (चंबा: 12; कांगड़ा: 01; मंडी: 05; व ऊना: 03) का चयन किया गया, जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम था तथा यह योजना के दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।
  - मंडी जिले में उपरोक्त में से 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले पांच लाभार्थियों को भी दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तारीख तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे।

**इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना :** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देश इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु एवं 80 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता के लाभार्थियों हेतु सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान करते हैं।

<sup>23</sup> बिलासपुर: 01; हमीरपुर: 01; कांगड़ा: 17; कुल्लू: 02; मंडी: 21; शिमला: 02; सिरमौर: 01; सोलन: 02; व ऊना: 01

- डेटा डंप के विश्लेषण में राज्य में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 1018 सक्रिय लाभार्थियों में से पांच मामले (कांगड़ा: 02 व मंडी: 03) उजागर हुए, जहाँ दिव्यांगता 80 प्रतिशत से कम थी।
  - मंडी जिले में उपरोक्त में से 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले चार लाभार्थियों को भी दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तारीख तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे।
- डेटा डंप विश्लेषण से उजागर हुआ कि राज्य के 18 वर्ष से कम आयु के 1018 सक्रिय लाभार्थियों में से मंडी जिले के एक लाभार्थी का चयन किया गया।
  - लाभार्थी को दिव्यांग राहत भत्ता योजना के अंतर्गत वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में भी लिया गया था, जो इंगित करता है कि लेखापरीक्षा की तारीख तक अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे थे।

दिशा-निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए अपात्र लाभार्थियों के चयन के उपरोक्त मामले विभागीय प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा की कमी तथा दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार ई-कल्याण साफ्टवेयर डिजाइन न करने का परिचायक है। इसके अतिरिक्त वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर भी सत्यापन जांच के अभाव में अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में विफल रहा जो वेब-आधारित सॉफ्टवेयर चलायमान करने से पहले उपयोगकर्ता परीक्षण में चूक होने का संकेत देता है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर में फीडिंग केवल तीन श्रेणियों अर्थात् वृद्धावस्था, विधवा/एकल/परित्यक्ता एवं प्रवेश के समय दिव्यांगता हेतु की जाती है। तत्पश्चात योजना विशेष के अंतर्गत पेंशन की स्वीकृति स्वतः हो जाती है। उत्तर इस तथ्य के परिचायक हैं कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर का डिजाइन दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुरूप नहीं है।

अंतिम बैठक में विभाग ने अपात्र लाभार्थियों को पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली करने का आश्वासन दिया।

#### 5.3.4 योजना के दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में अपर्याप्त सत्यापन नियंत्रण

यह देखा गया कि लाभार्थियों की आयु पात्रता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का ही चुनाव जैसे सत्यापन नियंत्रण विद्यमान नहीं थे, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

**(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन नहीं करने वालों का चुनाव:** जब आवेदनों को प्रतीक्षा-सूची से ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में सक्रिय पेंशनभोगी सूची में स्थानांतरित किया जाता है, तब स्लॉट की रिक्तता के आधार पर सॉफ्टवेयर ई-कल्याण सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से संबंधित श्रेणी की या तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य योजना के अंतर्गत उनका आवंटन करता है। हालांकि, इस तरह के आवंटन के दौरान ई-कल्याण सिस्टम यह सत्यापित नहीं करती है कि आवेदक संबंधित योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं।

गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों का चयन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाओं के अंतर्गत 1.22 लाख सक्रिय लाभार्थियों में से गरीबी रेखा के नीचे न आने वाले 28,419 लाभार्थियों<sup>24</sup> के चयन किया गया। वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर में नमूना-जांचित चार जिलों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 32298 में से 9575 लाभार्थी<sup>25</sup> (30 प्रतिशत) गरीबी रेखा श्रेणी के नहीं थे।

यह इंगित करता है कि ई-कल्याण साफ्टवेयर को पात्रता के अनुसार आवेदकों का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था तथा जांच करने में विभागीय प्राधिकारियों की ओर से कमी थी।

सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि अपात्र लाभार्थियों का चयन संबंधित ग्राम पंचायतों की लापरवाही के कारण हुआ था। ई-कल्याण में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य योजनाओं के अंतर्गत चयन स्वचालित रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा केवल तीन श्रेणियों (वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग) में दर्ज किए गए डेटा के आधार पर किया गया था। उत्तर विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निगरानी एवं समन्वय की कमी तथा ई-कल्याण साफ्टवेयर की डिज़ाइन विद्यमान नियमों के अनुसार न होने का परिचायक हैं।

**(ख) अपात्र लाभार्थियों को शामिल करना:** राज्य सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 2014) के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी (70 वर्ष व उससे अधिक या दिव्यांग 70 प्रतिशत व उससे अधिक को छोड़कर) की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष (मनरेगा<sup>26</sup> के तहत आय को छोड़कर) ₹ 35000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

डेटा डंप के विश्लेषण में 12 में से नौ जिलों में 1286 मामले<sup>27</sup> उजागर हुए जहां लाभार्थी (70 वर्ष से कम एवं 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता) की पारिवारिक आय ₹ 35000 प्रति वर्ष से अधिक थी। यह इंगित करता है कि अपात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति दी गई।

## 5.4 पेंशन संवितरण

लाभार्थियों की पेंशन डाक/बैंक खातों में जमा होती हैं। विभाग ने डाक प्राधिकरण के साथ समझौता-ज्ञापन (जून 2017) निम्नलिखित के लिए किया :

- लाभार्थियों के खातों में पेंशन का सहज संवितरण,
- 80 वर्ष एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग लाभार्थियों को घर पर पेंशन वितरण,
- मृत्यु/पुनर्विवाह आदि के कारण लाभार्थियों के अपात्र होने की सूचना,
- पेंशन संवितरण हेतु डाक प्राधिकरण को 1.5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार का भुगतान।

बैंक प्रणाली के साथ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

<sup>24</sup> बिलासपुर: 1795; चंबा: 1011; हमीरपुर: 1925; कांगड़ा: 8959; किन्नौर: 166; कुल्लू: 1493; लाहौल-स्पीती: 44; मंडी: 2932; शिमला: 5940; सिरमौर: 1345; सोलन: 912; व ऊना: 1897

<sup>25</sup> किन्नौर: 149, मंडी: 2854, शिमला: 5683, व सोलन: 889

<sup>26</sup> महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005।

<sup>27</sup> बिलासपुर: 40; चंबा: 39; हमीरपुर: 24; किन्नौर: 84; कुल्लू: 35; मंडी: 120; शिमला: 07; सिरमौर: 934; एवं सोलन: 03



जनवरी 2018 से मार्च 2021 के दौरान ₹ 1894.29 करोड़ राशि डाक विभाग द्वारा एवं ₹ 423.04 करोड़ बैंकों के माध्यम से संवितरित की गई। पेंशन संवितरण से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे विवर्णित हैं :

#### 5.4.1 (i) ₹ 47.24 लाख के पेंशन संवितरण की पुनरावृत्ति

आधार लिंकिंग न किए जाने एवं अन्य सत्यापन जांचों के अभाव में लेखापरीक्षा में लाभार्थियों की पुनरावृत्ति देखने के लिए वेब-आधारित ई-कल्याण में बैंक/डाक खाता संख्या का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में नमूना-जांचित चार जिलों में चयनित पेंशन योजनाओं के 206115 लाभार्थियों में से 124 लाभार्थी के साथ जुड़ी बैंक/डाक खाता संख्या की पुनरावृत्ति के 248 मामले (मंडी: 178, शिमला: 56 व सोलन: 14) उजागर हुए।

इन 248 मामलों के विस्तृत विश्लेषण निम्नवत<sup>28</sup> उजागर हुआ:

- 118 मामलों (मंडी: 84, शिमला: 24 व सोलन: 10) में एक ही/समान नाम एवं विवरणों की पुनरावृत्ति पाई गई; जहां 59 बचत खातों (दो मामलों में प्रत्येक में एक ही खाता संख्या) में पेंशन का संवितरण किया गया था। अतिव्यापी<sup>29</sup> अवधि के दौरान इन लाभार्थियों को पात्र राशि के अतिरिक्त ₹ 14.59 लाख (मंडी: ₹ 13.31 लाख, शिमला: ₹ 0.90 लाख व सोलन: ₹ 0.38 लाख) की राशि का भुगतान किया गया, जिसमें उनके खातों में दोहरी पेंशन जमा की गई (जुलाई 2016 से मार्च 2021)।
- 130 मामलों (मंडी: 94, शिमला: 32 व सोलन: 04) में विवरण अलग परन्तु एक ही बचत खाता संख्या पाई गई। 65 बचत खातों (प्रत्येक दो मामलों में एक ही खाता संख्या) में पेंशन का संवितरण किया गया। इस प्रकार एक व्यक्ति को दोबारा लाभ का भुगतान एवं अन्य को कोई लाभ नहीं दिया गया। इन लाभार्थियों को अतिव्यापी अवधि के दौरान ₹ 32.65 लाख (मंडी: ₹ 27.63 लाख, शिमला: ₹ 4.82 लाख व सोलन: ₹ 0.20 लाख) का अधिक भुगतान किया गया था, जिसमें उनके खातों में दोहरी पेंशन जमा की गई थी (जुलाई 2009 से मार्च 2021)।

बैंक/डाकघर बचत खाता संख्या की पुनरावृत्ति के उपरोक्त मामले विभागीय प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों की संवीक्षा में कमी, ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में स्वचालित जांच की कमी तथा संबंधित डाक प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायत के मध्य विभाग समन्वय की कमी को इंगित करते थे।

उपरोक्त मामले वे हैं जहां एक ही बचत खाता संख्या का उपयोग किया गया था। लाभार्थियों की पहचान हेतु किसी विशिष्ट संख्या के अभाव में (परिच्छेद 5.1) अलग-अलग बचत खाता संख्या वाले लाभार्थियों की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

<sup>28</sup> वेब-आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर से निकाले गए लाभार्थी विवरण के अनुसार अतिरिक्त भुगतान की गणना हेतु बाद में खाता संख्या से जोड़े गए/लिंक किए गए लाभार्थी को किए गए भुगतान की गणना अतिव्यापी अवधि के लिए की गई थी

<sup>29</sup> यदि एक व्यक्ति को 2010 से पेंशन मिल रही है तथा दूसरे को 2015 से उसी खाते में पेंशन मिल रही है, तो अतिव्यापी अवधि 2015 से 2020 तक है, जिसके लिए इस अवधि के दौरान कम लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए ही राशि की गणना की गई है



उपर्युक्त विसंगतियों से बचा जा सकता था यदि आधार संख्या का उपयोग लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान के लिए किया गया होता।

जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में सत्यापन जांच के अभाव, कर्मचारियों की कमी तथा मामलों की बड़ी संख्या के कारण विभाग द्वारा संवीक्षा किए जाने के बावजूद इन मामलों का पता नहीं चल पाया। आगे यह बताया गया कि इन मामलों की जांच की जाएगी एवं दोहरे भुगतान की वसूली कर वास्तविक लाभार्थियों के पास जमा की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि विभागीय प्राधिकारी भुगतान पुनरावृत्ति के मामलों का पता लगाने में विफल रहे तथा ई-कल्याण सॉफ्टवेयर को पुनरावृत्ति के मामलों का पता लगाने एवं उन्हें हटाने हेतु डिज़ाइन नहीं किया गया था।

अंतिम बैठक में विभाग ने लाभार्थियों को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली करने का आश्वासन दिया।

#### 5.4.1 (ii) एक ही बचत खाते में कई लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण

समझौता-ज्ञापन के परिच्छेद बी(ए)(i) के अनुसार विभाग से लाभार्थी विवरण प्राप्त होने पर डाक विभाग प्रत्येक लाभार्थी के सन्दर्भ में बचत बैंक खाता खोलेगा।

यद्यपि वेब-आधारित ई-कल्याण में यह पाया गया कि 118 मामलों (मंडी: 88, शिमला: 12 व सोलन: 18) में पति-पत्नी या पिता-पुत्र को एक ही बचत खाते में पेंशन का संवितरित किया गया। 59 बचत खातों (दो मामलों में एक ही खाता संख्या) में पेंशन का वितरण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य लाभार्थी द्वारा धन का आहरण जारी रखने से दो में से किसी एक के अपात्र होने के विषय में डाक प्राधिकारी विभाग को सूचित करने की स्थिति में नहीं हो सकते। साथ ही समझौता-ज्ञापन के उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी हेतु बचत खाता खोलने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में डाक एवं विभागीय प्राधिकरण विफल रहे।

#### 5.4.2 पात्र लाभार्थियों को द्वार पर लाभ का वितरण न करना

पात्र लाभार्थियों को द्वार पर वितरण के लिए डाक विभाग को द्वार पर भुगतान करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी थीं। नमूना-जांचित जिलों में 54430 लाभार्थी<sup>30</sup> पेंशन लाभ के द्वार पर वितरण के पात्र थे।

चयनित जिला कल्याण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि-

- जिन लाभार्थियों को द्वार पर पेंशन दी गई थी, उन की संख्या से सम्बंधित विवरण डाक प्राधिकरणों द्वारा विभाग के साथ साझा नहीं किया गया था, जिसके अभाव में विभाग द्वारा द्वार पर किए गए संवितरण का पता नहीं लगाया जा सका।
- लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में द्वार पर वितरण हेतु पात्र 137 लाभार्थियों में से 112 (82 प्रतिशत) ने बताया कि उन्हें द्वार पर पेंशन नहीं मिल रही थी।
- जिला कल्याण अधिकारी स्तर के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि द्वार पर पेंशन नहीं मिलने के संबंध में लाभार्थियों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे।

<sup>30</sup> किन्नौर: 1803; मंडी: 28965; शिमला: 16464; व सोलन: 7198

उपरोक्त बिंदुओं ने इंगित किया कि डाक प्राधिकारियों द्वारा 80 वर्ष व उससे अधिक आयु एवं 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को द्वार पर पेंशन का सभी पात्र लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जा रहा था। आगे यह देखा गया कि विभाग ने इस संबंध में समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु डाक प्राधिकरण के साथ कोई पत्राचार नहीं किया।

संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (मई 2021) कि डाक प्राधिकरण से समय-समय पर अनुरोध किया गया था कि वे अभीष्ट लाभार्थियों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करें तथा विभाग को ऐसे विवरण आपूरित करें। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान न तो पत्राचार का कोई अभिलेख देखा गया था, न ही जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा तर्क को प्रमाणित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया था।

अंतिम बैठक में बताया गया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

### 5.4.3 पेंशन संवितरण हेतु मनीऑर्डर पद्धति का उपयोग

निदेशालय द्वारा जारी निर्देश (जुलाई 2017) में प्रावधान है कि जिला कल्याण अधिकारी लाभार्थियों के केवल बचत डाक/बैंक खातों में पेंशन जमा करेंगे। इसके अतिरिक्त डाक विभाग के साथ किए गए समझौता-ज्ञापन के अनुसार लाभार्थी डेटा प्राप्त होने पर डाकघर लाभार्थियों को बचत डाक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा।

डेटा डंप के विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2018-21 के दौरान मनीऑर्डर (कुल 41.47 लाख के लेनदेन में से) के माध्यम से 17371 लेनदेन<sup>31</sup> किया गया। इस तरह के लेन-देन सबसे अधिक जिला कांगड़ा (7720) में हुए। 2018-20 के दौरान मनीऑर्डर के माध्यम से हुए लेनदेन का आयु-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

वर्ष	2018	2019	2020
मनीऑर्डर लेनदेन की संख्या	14781	2144	446

इस प्रकार एक छोटा प्रतिशत (0.4 प्रतिशत) अभी भी मनीऑर्डर के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें पेंशन संवितरण की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप का जोखिम था। मनीऑर्डर लेनदेन की घटती प्रवृत्ति विभाग द्वारा लाभार्थियों के बचत खातों में पेंशन के संवितरण में सुधार का परिचायक है।

जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जिन लाभार्थियों की बचत खाता संख्या ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं की गई थी, उनकी पेंशन मनीऑर्डर के माध्यम से भेजी गई।

### 5.4.4 पेंशन संवितरण की स्थिति

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित की गई पेंशन राशि एवं संवितरण हेतु व्यक्तियों को भेजी गई पेंशन राशि से सम्बंधित विवरण ई-कल्याण में उपलब्ध है। यद्यपि किसी व्यक्ति को संवितरण हेतु भेजी गई पेंशन की स्थिति व्यक्तिगत पृष्ठताछ पर उपलब्ध है, तथापि वास्तविक संवितरण

<sup>31</sup> बिलासपुर: 91; चंबा: 3264; कांगड़ा: 7720; किन्नौर: 424; कुल्लू: 193; लाहौल-स्पीति: 77; मंडी: 2989; शिमला: 1915; सिरमौर: 526; सोलन: 23; एवं उना: 149

की स्थिति उपलब्ध नहीं है। इस तरह के विवरण दर्ज करने का प्रावधान वेब आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है। इसका कारण वास्तविक समय संवितरण स्थिति हेतु डाकघर/बैंक मॉड्यूल के साथ ई-कल्याण के एकीकरण का अभाव हो सकता है।

आगे यह भी देखा गया कि डाकघर/बैंक उन पेंशनभोगियों का विवरण साझा करते हैं जिन्हें राशि अंतरित नहीं की जा सकती तथा सफलता पूर्वक हुए लेनदेन का विवरण साझा नहीं किया जा रहा है। लेन-देन की पहचान (आईडी) तथा सफलता पूर्वक हुए लेनदेन हेतु मनीआर्डर की पावती के अभाव में विभाग के पास सफलता पूर्वक हुए भुगतान का आश्वासन उपलब्ध नहीं था। विभाग को सफलता पूर्वक हुए लेनदेन सहित लेनदेन की पहचान के संबंध में भी सूचित करना एवं ऐसे विवरण स्वचालित रूप से ई-कल्याण सॉफ्टवेयर में डाले जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

## 5.5 विद्यमान लाभार्थियों की पुष्टि

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशानिर्देशों के परिच्छेद 3.1.2 के अनुसार मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि करने के लिए राज्य विशेष सत्यापन दल<sup>32</sup> गठित करेंगे। हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2010 के परिच्छेद 13 में निर्धारित है कि ग्राम सभा अपात्र लाभार्थियों की पहचान करेगी एवं उनकी सूचना (रिपोर्ट) जिला कल्याण अधिकारियों को देगी जो पेंशन को अस्थायी रूप से रोक देंगे। सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की स्थिति का एक महीने के भीतर सत्यापन किया जाएगा तथा उस पर जिला कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाना है।

### 5.5.1 अपात्र लाभार्थियों के सत्यापन में विलम्ब

अभिलेखों की संवीक्षा एवं डेटा डंप के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि -

- विभाग ने मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि हेतु कोई विशेष सत्यापन दल गठित नहीं किया। नमूना-जांचित जिलों में मौजूदा लाभार्थियों की पुष्टि संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा की जा रही थी।
- डेटा डंप में 2211 मामले<sup>33</sup> अंतर्विष्ट थे, जहां पेंशन “मृत्यु” होने के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी (हटाए गए कुल 2.24 लाख मामलों में से) परन्तु बाद में यह रद्द कर दी गई (2139 मामले एक वर्ष के भीतर रद्द कर दिए गए एवं 72 मामले एक वर्ष से अधिक के बाद रद्द कर दिए गए)। इसके परिणामस्वरूप मध्य की अवधि में लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली।
- डेटा डंप में 3041 मामले<sup>34</sup> (हटाए गए कुल 2.24 लाख मामलों में से) भी अंतर्विष्ट थे, जहां 'जांच के अधीन' कारण से पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। इन मामलों में से :
  - 11 जिलों में 571 केस रद्द कर दिए गए। इनमें से 228 मामले एक साल से अधिक समय के बाद रद्द किए गए।

<sup>32</sup> विभाग के अधिकृत अधिकारी, स्थानीय रूप से सक्रिय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि आदि।

<sup>33</sup> बिलासपुर: 56; चंबा: 260; हमीरपुर: 178; कांगड़ा: 100; किन्नौर: 05; कुल्लू: 49; लाहौल-स्पीति: 18; मंडी: 716; शिमला: 265; सिरमौर: 246; सोलन: 31; एवं ऊना: 287

<sup>34</sup> बिलासपुर: 18; चंबा: 13; हमीरपुर: 114; कांगड़ा: 593; किन्नौर: 08; लाहौल-स्पीति: 48; मंडी: 445; शिमला: 1245; सिरमौर: 504; एवं ऊना: 53

- 2470 मामलों में रद्द किए जाने की अवधि/वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया जो इंगित करता है कि या तो ये मामले सत्यापन हेतु लंबित थे या सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां अपडेट नहीं की गई थीं।

उपरोक्त निष्कर्षों इंगित करते हैं कि तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी हटाए जाने वाले मामलों के सत्यापन में अत्यधिक समय ले रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप न केवल वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित रहे अपितु प्रतीक्षा सूची में अन्य संभावित लाभार्थियों को लाभों की स्वीकृति में भी विलम्ब हुआ।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों का सत्यापन संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता से किया गया था। तथापि तथ्य यह है कि पुष्टि दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं की गई एवं लाभार्थियों की पुष्टि में विलम्ब हुआ था जिसके परिणामस्वरूप पात्र लाभार्थी लंबे समय तक हटाए गए।

### 5.5.2 मृत लाभार्थियों को पेंशन संवितरण के परिणामस्वरूप ₹ 60.73 लाख का अनियमित भुगतान

लेखापरीक्षा में ई-कल्याण सॉफ्टवेयर पर सक्रिय लाभार्थियों की सूची के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों में मृत्यु के मामलों के अभिलेखों की तुलना की गई। लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित 59 ग्राम पंचायतों में चयनित पेंशन योजनाओं से संबंधित 9196 लाभार्थियों में से 255 मामले पाए गए, जहां लाभार्थी की मृत्यु हुए तीन माह से पांच वर्ष हो गए थे। तथापि इन मृत लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि का भुगतान जारी रहा - मृत्यु होने के बाद मार्च 2021 तक की अवधि तक इन मृत लाभार्थियों को ₹ 60.73 लाख<sup>35</sup> की राशि का भुगतान किया गया। यह विभागीय प्राधिकारियों द्वारा समन्वय एवं सत्यापन की कमी को इंगित करता है।

संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने के प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त समझौता-ज्ञापन के अनुसार डाक अधिकारियों को लाभार्थियों की अपात्रता के बारे में सूचना देना अपेक्षित था तथा मामला उनके साथ उठाया गया था। तथापि यह तथ्य शेष है कि मृत लाभार्थियों के खातों में भुगतान के मामले परिचायक हैं कि सत्यापन/पुष्टिकरण तंत्र उचित ढंग से काम नहीं कर रहा था।

### 5.5.3 पुनर्विवाह, रोजगार एवं जीवन-प्रमाणपत्र के संबंध में जानकारी

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा, 2010 के परिच्छेद 15(3) के अनुसार विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी लाभार्थियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 10 अप्रैल से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों से पुनर्विवाह न करने के संबंध में प्रमाणपत्र विभाग को प्रस्तुत करना होता है। इसके अतिरिक्त समझौता-ज्ञापन के अनुसार डाक विभाग भी विधवा के पुनर्विवाह एवं लाभार्थियों के जीवन-प्रमाणपत्र के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही ग्राम पंचायतों को भी सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारियों को पेंशनभोगी की मृत्यु या लाभार्थी के अपात्र होने के संबंध में नियमानुसार तत्काल सूचना भेजना अपेक्षित है, ताकि पेंशन को रोका जा सके तथा प्रतिस्थापन किया जा सके। डाक प्राधिकारियों को भी समझौता-ज्ञापन के अनुसार ऐसी सूचना विभाग को तत्काल भेजना अपेक्षित है।

<sup>35</sup> किन्नौर: ₹ 0.70 लाख (06); मंडी: ₹ 21.78 लाख (86); शिमला: ₹ 32.45 लाख (131); व सोलन: ₹ 5.80 लाख (32)

चयनित चार जिला कल्याण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नवत पाया गया-

- 2017-21 के दौरान संबंधित विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी लाभार्थियों से पुनर्विवाह न होने संबंधी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए।
- केवल मण्डी जिले में डाक विभाग के माध्यम से जीवन-प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा रहे थे यद्यपि नियमित रूप से नहीं। नमूना-जांचित अन्य तीन जिलों में डाक विभाग से लाभार्थियों के जीवन-प्रमाणपत्र से सम्बंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी।
- ग्राम पंचायतों ने भी लाभार्थियों की मृत्यु/अपात्रता के संबंध में अपेक्षित सूचना विभागीय प्राधिकारियों को नहीं भेजी। इसका कारण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के साथ स्वीकृति आदेश या पेंशनभोगियों की सूची साझा न करना हो सकता है।
- जिला कल्याण अधिकारी, सोलन के अभिलेखों की नमूना-जांच से ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतों/डाक प्राधिकारियों द्वारा पात्रता-स्थिति में परिवर्तन की सूचना देने में विलम्ब के कारण 20 पेंशनभोगी, जो नौकरीपेशा थे या अन्य स्रोतों से पेंशन लाभ ले रहे थे, एवं पांच पुनर्विवाहित लाभार्थियों को लाभ से हटाने में, रोजगार या पुनर्विवाह की तारीख से नौ महीने व 13 वर्ष का विलम्ब हुआ। इन मामलों को हटाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप संबंधित लाभार्थियों को ₹ 3.62 लाख का अनुचित लाभ हुआ तथा इस अवधि हेतु पेंशन स्लॉट प्रतीक्षा-सूची के अन्य व्यक्तियों के लिए अवरुद्ध रहा।

संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया कि अपर्याप्त स्टाफ के कारण अपेक्षित सूचना/प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए जा सकें। हालांकि मृत लाभार्थियों के संबंध में डाक प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही थी तथा अन्य सूचना/प्रमाणपत्रों की प्राप्ति भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल पात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु नियमों की अनुपालना नहीं की गई।

#### 5.5.4 लाभार्थियों का निरीक्षण

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली, 2010 के परिच्छेद 15 (1) के अनुसार संबंधित जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता के विषय में आवधिक निरीक्षण करना अपेक्षित था। जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों को जिला/तहसील के लाभार्थियों का क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत वार्षिक निरीक्षण करना था।

नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों को 2019-20 के दौरान पूर्वोक्त नियम के अनुसार 20692 व 26249 निरीक्षण करना अपेक्षित था। हालांकि संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चयनित जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया। जिला कल्याण अधिकारियों एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के किसी सूचना तंत्र के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे एवं यदि किए गए, तो इसके परिमाण प्राप्त हुए थे।

संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया जा सका। आगे यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान

लाभार्थियों का सामान्य सत्यापन किया गया था परन्तु इस संबंध में अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए। भविष्य में इस संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

#### सारांश-

- आधार संख्या को विशिष्ट पहचान के रूप में उपयोग करने तथा पुनरावृत्ति करने वाले लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को अधिसूचित नहीं किया गया।
- ई-कल्याण साफ्टवेयर में प्रविष्टि की पुनरावृत्ति की जांच/पता लगाने की कार्य क्षमता नहीं थी/प्रदान नहीं की गई थी।
- नमूना-जांचित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना अपूर्ण आवेदन पत्र एवं लाभार्थियों के आवेदनों पर प्रक्रिया व सत्यापन में विलम्ब के उदाहरण देखे गए थे।
- ई-कल्याण साफ्टवेयर के विश्लेषण से लाभार्थियों के चयन में अनियमितताएं तथा ₹ 47.24 लाख का दोबार/अधिक भुगतान उजागर हुआ, जो विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी को इंगित करता है।
- 59 ग्राम पंचायतों में ई-कल्याण साफ्टवेयर में पेंशनभोगियों के अभिलेखों के साथ पंचायत स्तर के मूल अभिलेखों के प्रति-सत्यापन से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 776 लाभार्थियों की आयु में भिन्नता, 63 न्यून आयु लाभार्थियों के चयन के मामले उजागर हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.21 लाख का अनियमित भुगतान एवं 255 मृत लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की गई जो ₹ 60.73 लाख के अधिक भुगतान में परिणत हुई।
- डाक विभाग के माध्यम से पेंशन के भुगतान में कमियां थीं जैसे पात्र लाभार्थियों को द्वार पर लाभ का वितरण न होना, अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त न करना तथा पेंशन के भुगतान हेतु मनीऑर्डर पद्धति का उपयोग।
- विभाग, डाक प्राधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अपात्र होने वाले लाभार्थियों के विषय में जानकारी साझा नहीं की गई।

#### सिफारिशें - राज्य सरकार विचार करें:

- पुनरावृत्ति के मामलों को हटाने हेतु लाभार्थी से जुड़ी विशिष्ट पहचान (जैसे आधार संख्या या बैंक/डाक खाता संख्या) का उपयोग।
- लाभों के गलत/अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करना एवं अपात्र लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि की वसूली करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया में सामान्य सेवा केंद्रों की भागीदारी।
- समयबद्ध तरीके से पेंशन आवेदनों पर प्रक्रिया एवं सत्यापन।

- अपात्र लाभार्थियों को लाभ भुगतान करने से बचने के लिए पंचायत स्तर के अभिलेख के अनुसार लाभार्थियों की पात्रता को सत्यापित करने हेतु सुदृढ़ तंत्र।
- लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की समीक्षा की जाएं एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण की स्थापना।
- द्वार पर लाभ पहुंचाने, क्षेत्रीय स्तर पर नामांकन करने इत्यादि के विषय में डाक विभाग के साथ हुए समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों का ईमानदारी से कार्यान्वयन।
- योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु विभाग का डाक एवं ग्राम पंचायत प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय।

